UPJL010011252026

Presented on : 21-02-2026
Registered on : 21-02-2026
Decided on : 11-03-2026
Duration : 0 years, 0 months, 18 days

IN THE COURT OF
Spl. Judge SC/ST Act
AT ,Jalaun
(Presided Over by SRI SURESH KUMAR GUPTA)

Bail Application/200029/2026

न्यायालयः अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0 एक्ट), जालौन स्थान उरई।

उपस्थितः सुरेश कुमार गुप्ता (एच0जे0एस0)

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 29/2026

1. सौरभ उम्र करीब 24वर्ष पुत्र महेश राठौर निवासी ग्राम छौना, थाना रामपुरा, जिला जालौन।
.....आवेदक/अभियुक्त।

बनाम

1. सरकार उत्तर प्रदेश।
.....अभियोजक।

मु0अ0सं0–09/2026
धारा–107 बी.एन.एस.
व धारा 3 (2)(5) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट,
थाना रामपुरा, जिला जालौन।

दिनांकः–11.03.2026

आवेदक/अभियुक्त सौरभ उम्र करीब 24वर्ष पुत्र महेश राठौर निवासी ग्राम छौना, थाना रामपुरा, जिला जालौन की ओर से मु0अ0सं0–09/2026 धारा–107 भारतीय न्याय संहिता व धारा 3(2)(5) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट, थाना रामपुरा, जिला जालौन के प्रकरण में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्रों पर अभियुक्त तथा अभियोगी के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान सहायक शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) को सुना एवं पत्रावली के साथ प्रस्तुत केस डायरी का परिशीलन किया।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादिनी मुकदमा श्रीमती सरोज की ओर से प्रथम सूचना रिपोर्ट इस आशय की दर्ज करायी गयी कि प्रार्थनी की पुत्री राधा उम्र लगभग 16 वर्ष दिनांक 11 फरवरी 2026 रात करीब 9:30 बजे कमरा बंद कर फांसी पर झूलकर आत्महत्या कर ली है इस घटना के संबंध में निवेदन करना है की प्रार्थिनी के पडोसी गांव छौना थाना रामपुरा निवासी सौरभ पुत्र महेश राठौर प्रार्थिनी की पुत्री को कई दिनों से परेशान कर रहा था वह अनैतिक शारीरिक संबंध बनाने के लिए दवाब भी बना रहा था, जिसकी शिकायत मेरी पुत्री राधा ने मुझसे की थी प्रार्थनी ने अपनी पुत्री को समझाया कि हम लोग गरीब एवं छोटी जाति के है। इसलिए चुप रहो प्रार्थनी की पुत्री

Digitally signed by Suresh Kumar Gupta
Date: 2026.03.12 11:25:16 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

राधा ने बताया की सौरभ ने उसकी ए0आई0 से उसके आपत्तिजनक फोटो भी बना लिए हैं जिसको दिखाकर वह अक्सर धमकाता रहता है। दिनांक 11 फरवरी को सौरभ पुत्र महेश राठौर निवासी ग्राम छौना ने अपने मोबाइल से प्रार्थनी के घर वाले मोबाइल पर रात 9:15 बजे कल कर घर से बाहर आने को कहा लेकिन प्रार्थनी की पुत्री ने मना कर दिया। फिर पुनः 9:18 बजे सौरभ ने पुनः कॉल करके करीब चार–पांच मिनट तक बात की इसके बाद मेरी पुत्री बोली मैं मर जाऊंगी लेकिन घर से तुम्हारे साथ बाहर नहीं जाऊंगी। यह कहकर रोती हुई भाग कर कमरे के अंदर चली गई। प्रार्थनी ने अपनी पुत्री को बहुत आवाज दी लेकिन उसने दरवाजा नहीं खोला और कमरे की अंदर फांसी पर झूल कर आत्महत्या कर ली। इसके बाद सौरभ ने 9:35 व 9:36 पर प्रार्थनी से कॉल पर बात की व राधा के बारे में पूछा तो प्रार्थनी ने बताया कि उसने तुम्हारे कारण आत्महत्या कर ली है। घटना के बाद से प्रार्थनी अपनी सोचने व समझने की शक्ति खो चुकी थी। आज मानसिक चेतना आई और घटनाक्रम के बारे में अपने पति को बताया है। आज दिनांक 14.02.2026 को रामपुरा थाने पर रिपोर्ट दर्ज करने आई है। उपरोक्त आधार पर अभियुक्त सौरभ के विरूद्ध उक्त मुकदमा पंजीकृत किया गया तथा मामले की विवेचना की गयी।

अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र में मुख्यतः यह आधार लिया गया है कि वह निर्दोष हैं, उसने तथाकथित अपराध कतई नहीं किया है, उसे झूठा एवं रंजिशन फंसाया गया है। उसने वादिनी की पुत्री को कभी भी शारीरिक सम्बन्ध बनाने के लिए परेशान नहीं किया। वादिनी की पुत्री राधा पूर्णतः बालिग थी और वह प्रार्थी के मना करने के बावजूद प्रार्थी को फोन से तंग करती थी तथा विवाह के लिये दबाव बनाती थी। वादिनी मुकदमा अपनी बेटी राधा की शादी प्रार्थी से नहीं करना चाहती थी जबकि प्रार्थी ने उसे कभी भी विवाह से इन्कार नहीं किया था लेकिन वादिनी की प्रताडना से क्षुब्ध होकर राधा ने स्वयं आत्महत्या कर ली और वादिनी ने स्वयं को बचाने के लिये अभियुक्त/प्रार्थी की झूठी एफ०आई०आर० पंजीकृत करा दी। वादिनी के सामने उसकी पुत्री ने कमरे की कुंडी लगाकर आत्महत्या की है। वादिनी ने उसको बचाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। यह इस बात से साबित है कि वादिनी चाहती तो पडोसियों को बुलाकर उनसे मदद मांग कर अपनी बेटी को बचा सकती थी। जिससे स्पष्ट है कि मृतिका राधा की आत्महत्या से प्रार्थी का कोई सम्बन्ध नहीं है। कथित घटना की रिपोर्ट तीन दिन के बिलम्ब से लिखायी गयी है। प्रार्थी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थी दौरान मुकदमा अभियोजन साक्ष्य व साक्षियों से कोई छेडछाड नहीं करेगा तथा अपनी जमानत का दुरूपयोग नहीं करेंगा। प्रार्थी अपनी जमानत के लिए सक्षम एवं विश्वसनीय जमानतें दाखिल करने को तैयार है। उपरोक्त आधारों पर जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

अभियोजन की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए कथन किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त ने वादिनी मुकदमा की पुत्री जो कि अवयस्क थी, की ए0आई0 से आपत्ति जनक फोटो बना ली तथा उस पर अनैतिक शारीरिक सम्बन्ध बनाने के लिए दबाव बनाकर उसे आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित किया जिस कारण वादिनी की पुत्री ने आत्महत्या की है। अपराध गम्भीर प्रकृति का है। अभियुक्त के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य है। अतः जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाये।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में अभियुक्त को नामजद करते हुए प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखायी गयी है। केस डायरी के अवलोकन से

स्पष्ट है कि मामले में पुलिस द्वारा विवेचना की गयी है और विवेचना के दौरान मृतका जो कि अवयस्क थी तथा अभियुक्त के मध्य मोबाईल से बातें होना पाया गया है। मृतका द्वारा आत्महत्या किये जाने के दिनांक को भी मृतका एवं अभियुक्त के मध्य मोबाईल से बातचीत होने के संबंध में कॉल डिटेल केस डायरी के साथ संलग्न की गयी है। केस डायरी के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि मृतका जो कि अवयस्क थी के द्वारा अभियुक्त की ओर से की गयी दुष्प्रेरणा के कारण गले में साड़ी का फंदा लगाकर आत्महत्या किया जाना पाया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार भी मृतका की मृत्यु फांसी के फंदे पर लटकने के कारण होना अंकित है। वादिनी ने अपने बयान में भी अभियुक्त द्वारा मृतका को काल करके बाहर बुलाने एवं उसके दुष्प्रेरित करने के कारण ही मृतका द्वारा आत्महत्या किया जाना बताया है। अतः अभियुक्त की अपराध में संलिप्तता, अपराध की प्रकृति, गम्भीरता, मृतका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट व पत्रावली में उल्लिखित गवाहान के बयानात तथा मामले की सम्पूर्ण तथ्यों व परिस्थितियों पर समग्र रूप से विचार करने के उपरान्त मामले के गुणदोष पर कोई राय व्यक्त किये बिना, अभियुक्त को इस स्तर पर जमानत पर रिहा किये जाने के कोई आधार नहीं है। अतः अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य हैं।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त सौरभ उम्र करीब 24वर्ष पुत्र महेश राठौर निवासी ग्राम छौना, थाना रामपुरा, जिला जालौन की ओर से मु0अ0सं0–09/2026 धारा–107 भारतीय न्याय संहिता व धारा 3(2)(5) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट, थाना रामपुरा, जिला जालौन के प्रकरण में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त, किया जाता है।

दिनाक–11.03.2026

(सुरेश कुमार गुप्ता)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0एक्ट)
जालौन स्थान उरई।